

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नाम
अहकाम
हुकम को
में जारी

25.8.20 उभय पक्ष उपस्थित पीटारीन अधिकारी राजकीय
कार्य में उपस्थित अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15.9.20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तल्लीलदर
माण्डल से माफ़ विपरीत प्राप्त हुई जिसे शाठ
पठ की गई अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवाक्षावाजे
पिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके
विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश
दिया जाता है वकील प्रार्थीगण ने वहस करनी
चाही, वहस सुनी गयी, वकील प्रार्थीगण
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मि जो इस
की तामीस
गारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 33/20 प्रा.पत्र.

- श्री रामेश्वर जी श्री रमेश जी गट निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (बीरा)

-प्रार्थी

बनाम

- श्री रामचन्द्र जी श्री दुकल जी निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

- राजस्थान राज्य जट्टे तहसीलदार-माण्डल तहसील-माण्डल
(सिद्धांत प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 9827/566 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.1 घा 12 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्हों होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-03-20 को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 9827/566 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.1 घा 12 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये व्रते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा